


दिनांक	आज्ञा पत्र	
6.7.22	<p>पत्रावली प्रस्तुत वकील अपीलाट/रेस्पो.उपस्थितः पीठासीन अधिकारी महोदय आज... 11/11/22 पर है। अतः पत्रावली पूर्व आजानुसार दिनांक... 12.9.22 को पेश हो।</p>	
12.9.22	<p>पत्रावली प्रस्तुत वकील अपीलाट/रेस्पो.उपस्थितः पीठासीन अधिकारी महोदय आज... 12/9/22 पर है। अतः पत्रावली पूर्व आजानुसार दिनांक... 6.10.22 को पेश हो।</p>	<p>त एत कारिका 14. 10/15 संख्या 10/15</p>
06.10.22	<p>पत्रावली पेश। वकील अपीलाट को पूर्व पेशी पर हिदायत दी गई थी कि आपसी तिथि से पूर्व तमील से जेप रेस्पोंडेंटस के रजिस्टर्ड नोटिस पेश कर अन्याया आपसी तिथि पर आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत अपील खारिज कर दी जायेगी। आज दिनांक तक अपीलाट ने रेस्पोंडेंटस के रजिस्टर्ड नोटिस पेश नहीं किये बने हैं इससे स्पष्ट है कि अपीलाट अपनी अपील के प्रति गम्भीर नहीं है। फलस्वरूप अपील अपीलाट आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत खारिज की जाती है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फंसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर याद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।</p>	
	<p>भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर (कैम्प झुन्डुनू)</p>	